बिहार सरकार

उद्योग विभाग

पत्रांक–ह0क0(10)विविध–24/2015.............................. पटना दिनांक–

संकल्प

विषय :–संकल्प सं0–2005 दि0–20.04.2012 अन्तर्गत मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजना के पात्र व्यक्तियों में रंगाई कार्य से जूड़े रंगरेज आर्टिजन को शामिल करने की स्वीकृति ।

राज्य के बुनकरों द्वारा स्वयं एवं रंगरेजों द्वारा सूत एवं कपड़े रंगाई का कार्य किया जाता है। रंगाई कार्य से जुड़े रंगरेजों को मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजना से जोड़ते हुए बुनकरों की तरह योजनाओं से लाभांवित किया जाना है।

2. मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजना के पात्र बुनकरों को नये करघे क्रय करने हेतु प्रत्येक बुनकर को मो0 15,000/–रू0 की राशि दो किस्तों रू0 12,000/– एवं 3,000/– रू0 उनके बैंक खाता में उपलब्ध कराया जाता है। उसी तरह रंगाई कार्य से जूड़े रंगरेज आर्टिजन को योजना का लाभ देने हेतु रंगाई से संबंधित साज–समान मो0–15,000/–रू0 का उपलब्ध कराया जायेगा। जिसका भुगतान उनके बैंक खाता में दो किश्तों में मो0–12000/–रू0 तथा मो0–3,000/– में किया जाएगा।

–नये करघे क्रय करने वाले बुनकरों को कच्चा माल हेतु मो0–5000/–रू0 प्रति बुनकर उनके क्रेडिट खाता में उपलब्ध कराया जाता है। उसी तरह रंगरेज आर्टिजन को चालू आर्टिजन क्रेडिट खाता में कच्चा माल क्रय हेतु मो0–5,000/– रू0 उपलब्ध कराया जायेगा।

–कर्मशाला योजना के तहत आवास से सटे 250 वर्गफीट जमीन रखने वाले बुनकरों को मो0–40,000/–दो किस्तों मो0–25,000/–रू0 एवं मो0–15,000/–रू0 उनके बैंक खाता में उपलब्ध कराया जाता है। उसी तरह रंगरेज आर्टिजन जिनके पास आवास से सटे 250 वर्गफीट जमीन उपलब्ध हो, उन्हें कर्मशाला हेतु दो किस्त 25,000/–रू0 एवं 15,000/–रू0 उपलब्ध कराई जायेगी।

3. इस योजना के कार्यान्वयन में पूरी पारदर्शिता हो, इसके लिए हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय से एक विहित प्रक्रिया भी जारी की जाएगी।

आदेश:– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सभी जिला पदाधिकारी, सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

संयुक्त सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0(10)विविध–24/2015 1153 /पटना, दिनांक– 24/6/2015

प्रतिलिपि– निदेशक हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/प्रबंधक निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र एवं उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र), भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित/उद्योग विभाग के सभी पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।